157

63 37

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक : एफ–31(30)आर.टी.आई./आयोग/13/डी- 785 दिनांक : 19-2-13

आदेश

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों की समय सीमा में पालना नहीं किये जाने से प्राधिकरण एवं राजस्थान सूचना आयोग स्तर पर अपीलों/परिवादों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों के निष्पादन हेतु कार्यालय द्वारा प्रसारित पूर्व आदेश दिनांक 15.05.2008, 11.06.2010, 09.11.2010, 12.01.2011, 16.09.2011 एवं दिनांक 06.02.2012 द्वारा जविप्रा में नियुक्त समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की जा रही है जो इस संबंध में पूर्व जारी निर्देशों की अवहेलना का प्रतीक है जिसके लिए संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों एवं उनके अधीन कार्यरत दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलों तथा माननीय सूचना आयोग में धारा 18(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवादों एवं धारा 20(1) के अन्तर्गत में प्रस्तुत द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक को संबंधित जविप्रा के राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधि पूर्व निर्देश दिनांक 11.06.2010, एवं 06.02.2012 के अनुसार जवाबदेही हेतु नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे है। फलस्वरूप निर्धारित समय सीमा में अपीलाण्ट/परिवादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण जविप्रा स्तर से सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने एवं राजस्थान सूचना आयोग द्वारा 20(1) के अन्तर्गत शास्ती अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता रहा है जिसके

लिए संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी जिम्मेदार है। इस बाबत पूर्व आदेश पत्रांक डी–528 दिनांक 06.02.2012 की पूर्ण पालना सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। अतः जविप्रा के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में जारी पूर्व आदेश, निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3) के खण्ड क,ख के प्रावधानों के अनुरूप पालना भी नहीं की जा रही हैं। अतः उक्त अधिनियम में विहित प्रावधानों की पालना हेतु निम्न बिन्दुओं पर पुनः निर्देशित किया जाता है।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोजन हेतु भविष्य में जविप्रा में नियुक्त समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने नाम के साथ साथ पदनाम एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी अंकित करना सुनिश्चित किया जावें।
2. उक्त अधिनियम की धारा 7(3) के खण्ड क, ख की भविष्य में पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
3. जविप्रा में विचाराधीन अपील एवं सूचना आयोग में विचाराधीन द्वितीय अपील एवं परिवादों में सुनवाई हेतु नियत दिनांक को संबंधित स्वयं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अन्यथा परिस्थितियों में उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधि आवश्यक रूप से जवाब देही हेतु अधिकृत पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण सहित उपस्थित होना सुनिश्चित किया जावे।
4. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समय सीमा में संबंधित को प्रावधानों के अनुरूप दिया जाना सुनिश्चित किया जावें, किसी भी स्थिति में उपलब्ध सूचना दिये जाने में टालमटोल नहीं की जावें।
5. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूचना समय सीमा में नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क दिये जाने बाबत निर्णय लिया जाता है जिससे जविप्रा के व्ययभार में अनावश्यक वृद्धि होती है। इस हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी जिस कार्मिक/अधिकारी की शिथिलता/लापरवाही के कारण प्रार्थी को सूचना दिये जाने से विलम्ब हुआ है,

उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर निःशुल्क सूचना दिये जाने में हुए व्ययभार राशि की गणना कर संबंधित कार्मिक के वेतन से कटौती या उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त/विधि/आयोजना/अभियान्त्रिकी–I, II), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व/भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी, ... जविप्रा, जयपुर।

संयुक्त आयुक्त
(आर.एम.एण्ड सी.)